न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2016

अपील संख्या 353/2016

बउनवानीः– रामप्रसाद पुत्र लोहडया जाति गुर्जर निवासी मेईखुर्द तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार खण्डार की मिसल संख्या 46/2016 निर्णय दिनांक 05.2.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री बच्चू सिंह जाट — वकील अपीलान्ट

2. श्री छोटू सिंह गुर्जर — पैरोकार राजस्व

दिनांक 7.6..2017

–: निर्णय :–

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार खण्डार की मिसल संख्या 46/2016 में पारित निर्णय दिनांक 5.2.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौकें से बेदखल करने के अतिरिक्त को 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित कि गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2072 में वाके ग्राम मेई खुर्द तहसील खण्डार की बंजड भूमि आराजी खसरा नम्बर 7/3 रकबा 2.00 बीघा पर गेंहूँ की फसल काश्त कर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण कर लिये जाने के कारण इस आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिकमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त मि.स. 11/2014 निर्णय दिनांक 23.9.2014 मे पारित बेदखली आदेश के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होना सावित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील मे पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिकमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि पटवारी हल्का ने बिना नाप चौप किये ही कयास मात्र से ही अपीलान्ट को अतिकमी मानकर उक्त सारी कार्यवाही की है जबकि उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा मे आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहॉ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के कियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिकमी नहीं माना जा सकता। जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा लिये

(के.सी. शर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर नही दिया गया। जिसके कारण अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्मणी होने की श्रेणी में नही आता है एंव अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.5.2016 को पुलिस का सिपाही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी मे घर आने पर घरवालों द्वारा बताये जाने पर प्राप्त हुयी एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की चस्पांदगी से करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया। जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्मण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्मण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त मि.स.11/2014 निर्णय दिनांक 23.9.2014 मे पारित बेदखली आदेश के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्मण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट के नोटिस की चस्पांदगी करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है, जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्मण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा बयान पटवार हल्का के लिये गये बयाने के अतिरिक्त मि.स. 2/2014 निर्णय दिनांक 4.3.2014 मे पारित बेदखली आदेश के आधार पर हो जाती है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा अतिकमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नही किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ति अतिचार साबित नही होता हो, जहॉ तक विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लेने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि तहसीलदार खण्डार से तलब की गई मौका रिपोर्ट से हो जाती है जिसके अनुसार सम्वत् 2073 में फसल खरीफ में विवादित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा जोत लगा कर कब्जा किया गया है। अर्थात वर्तमान मे उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्मण यथावत है। ऐसी स्थिति में मैं, न्याय के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.6.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(के0सी0वर्मा)
जिलाकलेक्टर
सवाई माधोपुर